June 1993 against the target of 60% for the financial year 1993-94 and the reduction/ collection of current demand is 79% (provisional) upto June 1993 against the target of 85% for the financial year 1993-94.

**बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया जाना**

1887. **डा० नौनिहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश की बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए और इनमें बरती जा रही अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु क्या ठोस कदम उठा रहीं है; और

(ख) इस दिशा में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :** (क) और (ख) वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में नीतिगत पहलें शुरू की गई हैं । इनमें ये शामिल हैं : सांविधिक नकदी अनुपात (एस एल आर) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआर आर) में कमी, ब्याज दर संरचना का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता आदि के निर्धारण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में मानदण्ड निर्धारित करना अधिक सुस्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए तुलन पत्र और लाभ एवं हानि के फार्मेटों का संशोधन, शाखा लाइसेंसिंग के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का संशोधन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) का कंपनी के रूप में परिवर्तन नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के संबंध में मार्गनिर्देश जारी करना पूंजी बाजार के उदारीकरण के लिए उपाय एस ई बी आई को सांविधिक शक्तियां प्रदान करना कर रियायतों के क्षेत्र में विभिन्न म्युचुअल फंडों के साथ समान व्यवहार आदि ।

अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रतिभूतियों के लेनदेनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :- बैंकों के निवेश पोर्टफोलियों के संबंध में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी करना ग्राहकों की ओर से बिलों की सुनाई/पुनर्भुनाई और पोर्टफोलियो प्रबंध बैंकों के राजकोषीय लेनदेनों की बारीकी से निगरानी, भारतीय रिजर्व बैंक में निधि प्रबंध कक्ष की स्थापना और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख सार्वजनिक ऋण कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत प्रणाली की शुरुआत ।

बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की पर्यवेक्षण प्रणाली को सुधारने और उसे मजबूत बनाने के लिए एक पर्यवेक्षी बोर्ड की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है ।

**Misuse of Money by Nationalised Banks in Bihar**

1888. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:
SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:

Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the State Government owned corporations in Bihar have misused Rs. 100 crore lent to them by various nationalised banks; if so, the details thereof;

(b) what steps have Government taken to recover that loan and details thereof; and

(c) the time since when this loan is pending for recovery and what are the major impediments in its recovery and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS